न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दीपेन्द्र सिंह राठौड आर.ए.एस.

प्र0स0 32/10

दायर दिनांक :– 03.05.2010
निर्णय दिनांक :– 10.06.2015

1–डूंगर / भेमा मीणा निवासी
जिबुला सरोदा तहसील सागवाडा
2= जगु पिता भेमा मीणा निवासी
जिबूला सरोदा, तह0 सागवाडा

बनाम

श्री लेण्ड होल्डर
तहसीलदार सागवाडा

वादीगण

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती
स्थाई निषेधाज्ञा के अर्न्तगत धारा 88, 188,
आर.टी.ए एवं धारा 136 LRA

वादी :–

पत्रावली मे वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के पिता स्वर्गीय भेमा पिता जोईता भील निवासी सरोदा उनके जीवनकाल में उनके कब्जे काश्त मे चली आ रही है भूमि का आवटन दिनांक 07.07.1970 को किया गया । आवंटित भूमि ग्राम सरोदा में आ.न. 8760/614 8/1 रकबा आठ बीघा किस्म सुखी III एवं आ.न. 8761/6331/1 रकबा दो बीघा किस्म सुखी III कुल रकबा दस बीघा है आंवटित आरजियान का नामान्तरकरण प्रविष्टि सं. 233 संख्या 827 में दिनांक 20.02.1971 प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पिता के हक में प्रमाणित किया गया है। उक्त दोनो आराजियात जमाबन्दी संवत् 2039 के वादी के पिता के गैर खातेदारी हक में चली आ रही है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 1193 दिनांक 10.10.83 को भरा जिस पर गिरदावर द्वारा आवंटीत द्वारा भूमि काश्त नही करने नोट लगा दिया गया ।गिरदावर द्वारा मौके पर जॉच नही कि गयी। प्रतिवादी तहसीलदार सागवाडा द्वारा भी दिनांक 18.01.1983 को नामान्तरण निरस्ती का नोट लगा दिया । जिसके आधार पर प्रतिवादी ने आराजी नं. 8761/6331/1 रकबा दो बीघा का आंवटन निरस्त होना मानकर इन्द्राज संवत् 2042 से 2045 की जमाबन्दी संख्या 152 पुरानी 1030 ग्राम जिबुला पटवार हल्का सरोदा से विलोपित कर दिया । जमाबन्दी संवत् 2042 – 45 में वादीगण के पिता को आंवटित आराजी नम्बर 8760/6148/1 रकबा 8 बीघा का इन्द्राज किया गया । जबकि दोनो आराजियान पास – पास स्थित है तथा दोनो पर वादीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

ही कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता के नाम आवटित आराजी नम्बर 8761/6331/1 रकबा दो बीघा का खातेदारी हक प्रदान करने का नामान्तरकरण संख्या 1193 प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.01.1983 को निरस्त किया गया । नामान्तरकरण निरस्त करने से आवंटन बहाल रहने से ही आरजी नम्बर 8760/6148/1 रकबा आठ बीघा गैर खातेदार से खातेदार घोषित करने का नामान्तरकरण संख्या 24 वादीगण के पिता के नमा भरा जाकर दिनांक 19.07.1990 को प्रमाणित किया गया । पटवारी द्वारा आरजी नम्बर 8761/6331/1 बिलानाम होना बताकर धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत वादी गण को इस सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त हुई। वादीगण का आज भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का है खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रति के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

3– प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.02.11 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन शर्तो की पालना करने एवं भूमि पर आवंटी का कब्जा होना साबित करने का दायित्व वादीगण का है

पत्रावली मे दिनांक 19.04.11 कोतनकियान कायम की गई। पत्रावली मे वादीगण द्वारा साक्ष्य में नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 20.02.71 की प्रतिलिपि [EX1] , जमाबन्दी ग्राम सरोदा संवत 2036 – 2039 [EX2], नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 19.07.90 [EX3] , नामान्तरकरण संख्या 1193 दिनांक 16.01. 1983 [EX4] , जमाबन्दी संवत 2024 – 2027 [EX5] , जमाबन्दी संवत् 2032 – 2034 [EX6] , जमाबन्दी संवत् 2042 – 2045 [EX7] , जमाबन्दी संवत् 2044 – 2047 [EX 8] , जमाबन्दी संवत् 2056 – 2059 [EX 9] , जमाबन्दी संवत् 2060 – 63 [EX10], प्रस्तुत किए गए। गवाह के रुप में वादीगण द्वारा डूगर पिता भेमा मीणा का शपथ – पत्र [PW I], देवेग पिता कोदर पटेल निवासी सरोदा का शपथ – पत्र [PW II], आदि प्रस्तुत किए गए । पत्रावली मे वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहल दिनांक 26.03.15 को सुनी गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्ये एवं बहस में उल्लेखित बिन्दुओ पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1– **आया** खातेदारी हक प्रदान करने हेतु प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 19.07.90 मे वादग्रस्त आराजी नं. 8761/6331/1 रकबा 2.00 बीघा को सम्मिलित नही करना अवैध था – जिम्मे वादी –

Scanned by CamScanner

निर्णय :– वादीगण द्वारा – उनके पक्ष में वादग्रस्त आराजी के आवंटन पश्चात गैर – खातेदारी दर्ज होने का नामान्तरकरण प्रस्तुत किया। जबकि दिनांक 16.01.1983 को भू.अ.निरीक्षक वृत पाडवा द्वारा भूमि को काश्त करना नही बतलाते हुए खातेदारी अधिकार का नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया तथा जमाबन्दी संवत् 2042 – 45 मे आ.न. 8761/6331/1 रकबा दो बीघा प्रार्थी के खाते के विलोपित कर दिया गया । यदि प्रार्थी द्वारा भूमि काश्त नही की जा रही थी , तब भी पटवारी द्वारा गैर–खातेदारी हक को समाप्त करने का अधिकार नही है अतः तनकी का निर्णय – वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी संख्या 2 – आया वादग्रस्त आराजी न. 8761/6331/1 रकबा दो बीघा पर वादीगण के पिता एवं वादीगण का कब्जा काश्त आवंटन की तारीख से है। नामान्तरकरण संख्या 1193 दिनांक 17.01.93 निरस्त होने से आवंटन निरस्त नही होता है। वादीगण खातेदारी हक का नामान्तरकरण भरकर प्रमाणित कराने एवं आराजी में खातेदारी हक प्राप्त होने की घोषणा अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है जिम्मे वादी –

निर्णय – कृषि भूमि आवंटी को कृषि हेतु दी जाने का नियम है। राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण निरस्त होने से आवंटन निरस्त नही होता है। इस हेतु भूमि आवंटन नियम की धारा 14 (4) के तहत प्रकरण जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है जो नही किया गया अतः तनकी का निर्णय वादी के पक्ष किया जाता है।

तनकी संख्या 03 – **आया** प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने के अधिकारी नही है। वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई /अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है– जिम्मेवादी –

निर्णय :– वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी से गैर – खातेदारी अधिकारी निरस्त कर बिलानाम करने में प्रतिवादी की भूल रही है। ऐसा करना प्रतिवादी के अधिकारी से परे है अतः आवंटन नियमानुसार निरस्त न होने तक गैर – खातेदारी समाप्त कर वादीगण को बेदखल नही किया जा सकता अतः तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 4– आया वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक का नामान्तरकरण संख्या 1193 दर्ज होकर भू.अ. निरीक्षक की टिप्पणी दिनांक 16.01.1983 पर राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.83 को नामान्तरकरण निरस्त कर देने से भूमि बिलानाम दर्ज होना नियमानुसार है – जिसमे प्रतिवादी

निर्णय :– प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया है कि जमाबन्दी मौजा सरोदा वर्ष संवत् 2036 – 39 में खसरा नम्बर 1019 मे खसंरा नम्बर 8760/6148/1 एवं 8761/6331/1 रकबा क्रमशः 8 बीघा एवं 2 बीघा गैर – खातेदारी दर्ज हुई । सन् 1990 मे वादीगण के पिता को खसरा संख्या 8760/6148/1 रकबा 8 बीघा के खातेदारी अधिकार प्रदन्त कर दिए गए तथा वादग्रस्त आराजी बिलानाम रहने दी गई। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमे वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नही होना प्रमाणित हो । वादग्रस्त आराजी किस आधार पर बिलानाम कर दी गई इसका भी कोई नियम के आधार पर स्पष्टीकरण नही दिया गया है। अतः तनकी का निर्णय – विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी संख्या 5– **आया** वादग्रस्त भूमि बिलानाम दर्ज होने के बाद आंवटन सम्बन्धी शर्तो की पालना करना साबित करने पर भी भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी नही है – प्रतिवादी –

निर्णय – पूर्व की तनकीयात मे किए गए विश्लेषण अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी द्वारा किस नियम के तहत बिलानाम दर्ज कर दी गई इसका उल्लेख नही है , यदि आवण्टी भूमि काबिज न हो तो आवण्टन निरस्त कर भूमि बिलानाम दर्ज करने की एक विधिवत् प्रक्रिया है जिसके तहत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन नियम की धारा 14 (4) के तहत जिला कलक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करना होता है जिस पर प्रतिवादी द्वारा कोई प्रक्रिया नही की गई अतः तनकी का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसी :– वादी अपने वाद को सिद्ध करने मे सफल रहे है अतः वादीगण को वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आशय की डिग्री जारी है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner